



प्रेस नोट – थाना बाबूपुरवा, कानपुर नगर ।

दिनांक -25.10.2020

आज दिनांक 25.10.2020 को समय 15.43 बजे एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा परिवहन निगम के टोल फ्री नम्बर 180018022877 पर मेजर सलमान खान झकरकट्टी बस स्टेशन को बम से उड़ा देने की धमकी दी गयी थी और साथ ही रोक सकने की चुनौती भी सूचना पर तत्काल ही थाना बाबूपुरवा पुलिस व जनपद की सर्विलांश सेल सहित अन्य टीमों सक्रिय हो गयी इसी दौरान यह भी ज्ञात हुआ कि उक्त मोबाइल नं0 से पिछले दिनों कानपुर सेन्ट्रल रेलवे स्टेशन, रीजेन्सी हास्पिटल , किदवई नगर स्थित शान्ति निकेतन स्वीट हाऊस को भी बम से उड़ा देने की धमकी दी गयी है ।

उक्त क्रम में श्रीमान DIG/SSP कानपुर नगर महोदय के आदेशानुसार , श्रीमान पुलिस अधीक्षक दक्षिण महोदय के निर्देशन व श्रीमान क्षेत्राधिकारी बाबूपुरवा महोदय के निकट पर्यवेक्षण में उक्त शरारती तत्व को मुखबिर की सूचना पर बाबूपुरवा की पुलिस द्वारा झकरकट्टी बस स्टेशन के पास से पकड़ने में सफलता प्राप्त हुई है पकड़े गये व्यक्ति ने अपना नाम अरशद अली खान उर्फ मन्नू पुत्र स्व0 शाहिद अली खान उर्फ आरीफ अली खान नि0 सफेद कालोनी बेगम पुरवा थाना बाबूपुरवा कानपुर नगर बताया ।

जामतलाशी से पर्स से एक वोटर आई-डी क्रमांक ATA 0975409 जिस पर उक्त अभियुक्त का फोटो ग्राफ है तथा नाम – राहुल सिंह ठाकुर पुत्र अमर सिंह ठाकुर नि0 8/13 बेगम पुरवा सफेद कालोनी , बाबूपुरवा तहसील कानपुर सदर जिला कानपुर नगर भी मिला । जिसमें विषय में पूछने पर कोई सन्तोष जनक उत्तर नहीं दे सका सकती से पूँछताछ करने पर माफी माँगते हुये बताया कि मैंने यह फेक आईडी दूसरो को धोखा देने व होटल आदि में ठहरने के इस्तेमाल करने के लिए बनाई है । मैं कानपुर में पिछले दिनों से हूँ और इसी आईडी पर होटल में ठहरा हूँ । यहाँ मेरा तश्म नाम की महिला से जुड़ाव हो गया था और अब वह कानपुर छोड़ के कहीं चली गयी है । उसे खोजते हुये जब मैं उसके घर किदवई नगर पहुँचा तो वहाँ ना पाकर उसके मकान मालिक से कहासुनी हो गयी थी तो मैंने उसे गम्भीर नतीजे भुगतने की धमकी भी दी थी । उसे ना पाकर मैं पगला गया था । और उससे हर कीमत पर मिलना चाहता था इसलिए उसको व राहुल नाम से काल्पनिक व्यक्ति द्वारा कानपुर सेन्ट्रल , झकरकट्टी बस अड्डा, रीजेन्सी हास्पिटल व शान्ति निकेतन स्वीट हाऊस को बम से उड़ा देने व उसकी साजिस पर स्वयं सम्मिलित होने की बात मैंने परिवहन निगम के टोल – फ्री नम्बर, रीजेन्सी हास्पिटल के सम्पर्क नम्बर व यूपी 112 पर दी थी ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

अरशद अली खान उर्फ मन्नू पुत्र स्व0 शाहिद अली खान उर्फ आरीफ अली खान नि0 सफेद कालोनी बेगम पुरवा थाना बाबूपुरवा कानपुर नगर उम्र 28 वर्ष ।



अभियुक्त अरशद अली खान उर्फ मन्नू

बरामदगी

1. मोबाइल जियो कम्पनी का रंग काला व सिमकार्ड जिससे उक्त धमकी वाली काल्स की गयी।
2. फेक वोटर आईडी कार्ड

पंजीकृत मुकदमा

1. मु0अ0सं0 691/2020 धारा 419/467/468 भादवि थाना बाबूपुरवा कानपुर नगर

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 132/2020 धारा 505/507 भादवि थाना बाबूपुरवा जनपद कानपुर नगर।
2. मु0अ0सं0 512 /2020 धारा 458/504/506 भादवि थाना किदवई नगर जनपद कानपुर नगर।
3. मु0अ0सं0 513/2020 धारा 505/507 भादवि थाना किदवई नगर जनपद कानपुर नगर।
4. मु0अ0सं0 492 /2020 धारा 505/507 भादवि थाना रेलबाजार जनपद कानपुर नगर।
5. मु0अ0सं0 211/ 2020 धारा 505/507 भादवि थाना स्वरूप नगर जनपद कानपुर नगर।
6. अन्य थानाजात से जानकारी की जा रही है

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री जनार्दन प्रताप सिंह
2. उ0नि0 श्री अर्पित तिवारी
3. का0 5082 शिवम यादव
4. का0322 सत्य कुमार
5. का0 2320 रामकेश
6. का0 3448 उदयवीर सिंह